

# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo-raigarh.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./

1644

/2016/रायगढ़, दिनांक - 22/12/2016

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,  
बिलासपुर वृत्त  
बिलासपुर (छ.ग.)

**विषय :-** Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act' 1980 coming under to Construction of 765 KV D/C Jharsuguda- Dharamjaygarh 2<sup>nd</sup> Transmission line.

पंजीयन क्रमांक :- FP/CG/TRANS/8080/2014

**संदर्भ:-** भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक/FC-III/CH-09/2016-NGP/919 दिनांक 03.10.2016 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक /भू-प्रबंध/विविध/479-135/2711 दिनांक 16.11.2016

उपरोक्त विषयांतर्गत पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) रायगढ़ द्वारा प्रस्तावित 765 के.वी. D/C झारसुगुड़ा से कोरबा (धरमजयगढ़) तक विद्युत लाईन- II के निर्माण में प्रभावित कुल वन एवं राजस्व वनभूमि 153.448 हे. व्यपवर्तन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। जिसमें भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर के संदर्भित पत्र द्वारा की गई आपत्तियों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

बि. क्र.	आपत्ति	पालन प्रतिवेदन
i	Forest patch wise density of all patches involved in the proposal has not been provided in the proposal.	प्रस्तावित वन भूमि का कक्षवार घनत्व की जानकारी संलग्न है। (प्रदर्श-1)
ii	Examination of kml/shape files, it is revealed that out of 9 patches indentified for CA, 4 patches were observed to be unsuitable as 3 patches appears to have density more than 40% (1 in Dharamjaygarh (OA No. 1445), 2 in Korba (OA No. 1465 and 1443) while part of 1 patch in Raigarh (964P) appears to be encroachment (agriculture).Further, as per the provision of the component of CA scheme, the State Government has incorporated the provision of protection for 10	कक्ष क्रमांक 964 पी का स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें अतिक्रमित व वृक्षारोपण क्षेत्र को हटाकर 56.327 हेक्टर से 40.327 हेक्टर में सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना प्रस्तावित किया जा रहा है जिसमें किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है तथा 16.00 हेक्टर कक्ष क्रमांक 933 पी में प्रस्तावित किया जा रहा है। DGPS रिपोर्ट (KML,Shape file) की CD संलग्न है। 10 वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार किया गया है जिसमें बारबेड वायर

	years. However, the provisions further needs to be elaborated to confirm if the provision of protection incorporates watchmen and fencing also.	फेंसिंग एवं सुरक्षा का प्रावधान रखा गया है। योजना की छायाप्रति संलग्न है। (प्रदर्श-2)
iii	Land identified for raising CA is free from encroachment has not been certified by the DCFs concerned.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का उपयुक्तता एवं अतिक्रमण नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न है। (प्रदर्श-3)
iv	Examination of the proposal submitted online revealed that complete documents i.e. annexure referred in the part-II have not been uploaded. The same needs to be uploaded. Revised Part-II may be submitted without giving any references along with the field inspection notes and reasons for recommending the projects.	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव के संबंध में संशोधित भाग II आनलाइन अपलोड कर संलग्न है। (प्रदर्श-4)
v	CCF, Bilaspur has mentioned that RoW be reduced from 10m to 3m, however, as per guidelines Row for 765 kV line is 10m, therefore, the State Government/ CCF may convey its considered opinion on the matter that in case the Row is not reduced, the proposal stands recommending or not.	वनमण्डल से संबंधित नहीं है।
vi	KML files pertaining to the CA have not been uploaded properly. As assessed on the website of the MoEF &CC on 01.10.2016, only 5 kml files pertaining to the Raigarh Forest Division have been uploaded while uploading the same files has been repeated in case of Korba and Dharamjaygarh Divisions. The correct kml files needs to be uploaded in respect of CA area identified in Korba and Dharamjaygarh Divisions.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र से संबंधित समस्त 'जानकारी एवं KML को पुनः आनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
vii	KML files for 30 patches of the forest land involved in the proposal have been submitted. However, single KML file for the entire stretches of the transmission line may be submitted for the ease of analysis of the forest area using decision support system.	सभी 30 वन कक्षों का एकल KML फाईल तैयार कर CD में संलग्न है। (प्रदर्श-5)
viii	The total forest area mentioned in the certificates of the concerned district Collectors issued under the Schedule Tribes and Other Traditional Forest	प्रस्तावित वन भूमि का कुल 153.448 हेक्टर ( जिला रायगढ़ 126.869 हेक्टर एवं जिला कोरबा 26.579 हेक्टर) का संशोधित वन अधिकार

Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 is 166.007 ha while diversion is sought only for 153.4481 ha. The discrepancy in the area may be justified by the State Government.	मान्यता प्रमाण पत्र की मूल प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर को पूर्व में प्रेषित की चुकी है। सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। (प्रदर्श-6)
---	---

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी  
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

पृ.क्रमांक/तक.अधि./ 1645  
प्रतिलिपि :-

/2016/रायगढ़, दिनांक - 12/12/2016

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़, मेडिकल कालेज रोड, अरण्य भवन, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. महाप्रबंधक, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्राम एवं पोस्ट कोतरा, नन्देली मार्ग जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी  
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़